न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी 1836/2018/राजगढ़/भू–रा0

राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री केशरीमल सोनी
निवासी – वार्ड कमांक 11, मस्जिद के
सामने, पुराना ए0बी0 रोड, ब्याबरा,
जिला राजगढ़, म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ब्यावरा
जिला राजगढ़, म0प्र0

2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा
जिला राजगढ़, म0प्र0

3– अनुविभागीय अधिकारी (पी0डब्ल्यू0डी0
पथ एवं भवन) राजगढ़, जिला राजगढ़,

4– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर राजगढ़,
जिला राजगढ़, म0प्र0

—— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध सूचना–पत्र कमांक 1569/अतिकमण/2018 सूचना–पत्र दिनांक 07.06.2018 एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 04.06.2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 0051/बी–121/2017–18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक निग.4836/2018/राजगढ़/भू.रा. जिला- राजगढ़
राजेन्द्र कुमार विरूद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी ब्यावरा एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला- राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 0051बी-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को आयुक्त, भोपाल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	